

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी छबडा जिला बारां (राज0)

अन्तिम डिक्री

वाद संख्या 54/2016	धारा अन्तर्गत 53 188 आर टी एक्ट	निर्णय दिनांक : 30.07.2024
समक्ष : श्री रामलाल गुर्जर आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी, छबडा जिला बारां		
उपस्थिति : अभिभाषक वादी:- श्री		अभिभाषक प्रतिवादी:-

वाद शीर्षक

उनवान

चम्पालाल आयु 70 वर्ष पुत्र हरलाल जाति लोधा निवासी ग्राम राजपुरा तहसील छबडा जिला बारां (राज0)

बनाम

- फेली आयु 55 वर्ष पुत्र सीताराम जाति लोधा निवासी ग्राम राजपुरा
- रामसुखी आयु 50 वर्ष पत्नि बाबूलाल जाति लोधा निवासी ग्राम राजपुरा
- दोली बाई आयु 30 वर्ष पत्नि राधेश्याम जाति लोधा निवासी ग्राम राजपुरा तहसील छबडा जिला बारा (राज0)
- राज0 सरकार जयें तहसीलदार साहब तहसील छबडा जिला बारां (राज0)

निर्णयार्थ प्रस्तुत वाद में यह आदेशित किया जाता है और तदनुरूप डिक्री निर्गत की जाती है कि:-

मुताबिक विभाजन प्रस्ताव अनुसार विवादित आराजी वाके ग्राम राजपुरा तहसील छबडा का पक्षकारान के मध्य पृथक-पृथक विभाजन निम्नानुसार किया जाता है।

नाम खातेदार	ख0 नं0	रकवा	लगान	दिशा
1. चम्पालाल पुत्र हरलाल जाति लोधा सा0देह	88/3	0.3857	1.88	-
2. रामसुखी पत्नि बाबूलाल जाति लोधा सा0देह	88/4	2.2656	1.30	-
3. दोलीबाई पत्नि राधेश्याम जाति लोधा सा0देह	88/2	0.3920	1.91	-
4. फेली पुत्र सीताराम जाति लोधा सा0देह	88/1	0.5122	2.50	-

उपरोक्तनुसासर विवादित आराजी का पक्षकारान के मध्य पृथक-पृथक विभाजन किया जाकर राजस्व रिकार्ड में अमल दारामद करने हेतु तहसीलदार छबडा को आदेशित किया जाता है।

साथ ही नियमानुसार रू0 का व्ययानुतोष द्वारा को प्रदान किया जाए।
उक्त आदेश और हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा के साथ आज दिनांक 30.07.2024 को निर्गत किया गया।



उपखण्ड अधिकारी
बारां जिला (बारां)

क्र.सं.	व्ययानुतोष	
	वादी	प्रतिवादी
1.	बढ़. पत्र/लिखित कथन	
2.	अभिभाषक पत्र (स्टाम्प+लिखित सामग्री व्यय)	
3.	साक्ष्य पत्रक (स्टाम्प+लिखित सामग्री व्यय)	
4.	प्रार्थना पत्र (स्टाम्प+लिखित सामग्री व्यय)	
5.	पारिश्रमिक अभिभाषक	
6.	व्यय साक्षी	
7.	फीस कमिश्नर	
8.	अन्य/क्षतिपूर्ति	
9.	ब्याज (:)	
10.	योग	

